भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2517
दिनांक 17 **मार्च**, 2021

पेट्रोल पंप संचालकों की आय

2517. **श्री नीरज डांगी**:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार केन्द्र स्तर पर देश भर के पेट्रोल पंप संचालकों की आय में वृद्धि करने के प्रयास कर रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और
(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार की अपूर्व चंद्र समिति की सिफारिशों को लागू करके डीजल मार्जिन में वृद्धि करने की मंशा है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री
(**श्री धर्मेन्द्र प्रधान**)

(क) से (ग): सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल के मूल्यों को क्रमश: दिनांक 26.06.2010 और 19.10.2014 से बाजार निर्धारित बना दिया गया है। तब से, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यों, विनियम दर, कर संरचना, अंतर्देशीय भाड़ा और अन्य लागत घटकों के अनुसार पेट्रोल और डीजल के मूल्य निर्धारण के संबंध में उपयुक्त निर्णय लेती हैं।

अपूर्व चंद्र समिति की सिफारिशों के आधार पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ओएमसीज को पेट्रोल और डीजल पर डीलरों के मार्जिन को दिनांक 01.07.2021 से बढ़ाने की हिदायत दी थी।

अपूर्व चंद्र समिति की सिफारिशों के आधार पर बाद में, ओएमसीज द्वारा पेट्रोल और डीजल के लिए डीलर मार्जिन को समय-समय पर बढ़ाया गया है।

****